आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर

दिनांक : 04.04.2024 समय : 0705

<><><><><><><><>

- पोर्ट ब्लेयर में डीब्रेट के सभागार में कल पीठासीन अधिकरियों और मतदान अधिकारियों के लिए दूसरे चरण का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- निर्वाचन आयोग ने राज्यो ंऔर केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को अवैध शराब, नकदी, हथियारों की आवाजाही जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए सीमाओं पर कड़ी निगरानी का निर्देश दिया।
- अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में उन्नीस अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए मतदाता वैकल्पिक पहचान पत्रों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
- द्वीपसमूह की एकमात्र लोकसभा सीट के लिए उन्नीस अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए मतदान के अड़तालीस घंटे पूर्व जन सभाएं आयोजित नहीं की जा सकती।
- मध्योत्तर अंडमान जिला निर्वाचन अधिकारी दिलखुश मीणा ने जिले के मतदाताओं से आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में शिकायतें सी–विजिल ऐप में दर्ज करने का अनुरोध किया है।

<><><><><><><><>

आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तहत पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण का दूसरा चरण कल डॉक्टर बी. आर. अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के सभागार में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में पोर्ट ब्लेयर तहसील के पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर चुनाव अधिकारी अर्जुन शर्मा, सामान्य पर्यवेक्षक बी.एन. सिंह और चुनाव से संबंधित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। अपने संबोधन में चुनाव अधिकारी ने उन्नीस अप्रैल को चुनाव के दिन मतदान के सुचारू संचालन के लिए मतदान केन्द्र पर तैनात पीठासीन अधिकारियों और अन्य कर्मियों की भूमिका और जिम्मेदारियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि चुनाव डयूटी में लगे अधिकारी वीवी पैट मशीन का विशेष ध्यान रखें। मतदान टीमों को नेताजी स्टेडियम से मतदान किट जारी किए जाएंगे।

अपने संबंधित मतदान केन्द्रों के लिए रवाना होने से पहले उन्हें किट की जांच करनी होगी। उन्होंने चुनाव डयूटी में तैनात सभी अधिकारियों को सुबह साढे पांच बजे अपने निर्धारित मतदान केन्द्र में मॉक पोल कराने का निर्देश दिया। उन्होने भारत के निर्वाचन आयोग के सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए द्वीपसमूह में स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया।

<><><><><><><>

निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को अवैध शराब, नकदी, मादक पदार्थ और हथियारों की आवाजाही रोकने के लिए अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर कड़ी निगरानी का निर्देश दिया है। आयोग ने शांतिपूर्ण और प्रलोभन मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। आयोग ने कानून–व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए कल नई दिल्ली में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक की।

इस अवसर पर द्वीपसमूह के मुख्य सचिव केशव चन्द्र, पुलिस महानिदेशक देवेश चन्द्र श्रीवास्तव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी बी.एस. जगलान, चुनाव अधिकारी अर्जुन शर्मा सहित अन्य अधिकारियों ने वर्चुअल रूप से इस बैठक में भाग लिया।

<><><><><><><>

अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में शत–प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने और मतदाताओं को उनके मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते मतदान के दिन वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र दिखाकर भी मतदान किया जा सकता है। जिन मतदाताओं के पास फोटो मतदाता पहचान पत्र नहीं हैं, वे पहचान के लिए वैकल्पिक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैक या डाक कार्यालय की ओर से जारी फोटोयुक्त पासबुक, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एन.पी.आर के तहत आर.जी.आई की ओर से जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज़, केन्द्र, राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारियों को इन संस्थाओं की ओर से जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, यूडीआईडी कार्ड दिखाकर भी मतदान कर सकते हैं।

हालांकि चुनाव आयोग मतदाताओं की सुविधा के लिए संबंधित मतदान केन्द्रों के बूथ स्तर के अधिकारियों के माध्यम से मतदाता सूचना स्लिप का वितरण का कार्य कर रहा है, ताकि मतदाता अपने मतदाता सूची में उनके नाम, मतदान केन्द्र, मतदान की तिथि, समय और उनके मतदान सूची में क्रम संख्या के बारे में जानकारी हासिल कर सके। हालांकि मतदाता सूचना स्लिप मतदाता की पहचान के साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। द्वीपसमूह के मतदाताओं से प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में बढ़–चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की गई है। मतदान उन्नीस अप्रैल को सुबह सात बजे से शाम छः बजे के बीच होगा।

<><><><><><><>

द्वीपसमूह की एकमात्र लोकसभा सीट के लिए उन्नीस अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए जन सभाएं मतदान के अड़तालीस घंटे पूर्व नहीं की जा सकेगी। भारतीय चुनाव आयोग की ओर से इस संबंध में विशेष निर्देश जारी किया गया है, ताकि मतदान को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से सम्पन्न कराया जा सके और कानून और व्यवस्था को भी कायम रखा जा सके। मतदान से अड़तालीस घंटे पूर्व यानी सत्रह अप्रैल की शाम छः बजे से लेकर बीस अप्रैल तक दक्षिण अंडमान ज़िले में धारा एक सौ चवालीस लागू रहेगी। यह आदेश कामकाजी लोग और अन्य धार्मिक समारोह के अलावा मतदान के लिए मतदान केन्द्र के भीतर आने वाले मतदाताओं पर तब तक लागू नहीं होगा, जब तक वे किसी प्रकार की अवैध गतिविधि या शांति भंग करने का प्रयास न करें। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

<><><><><><><>

मध्योत्तर अंडमान जिला निर्वाचन अधिकारी दिलखुश मीणा ने जिले के मतदाताओं से आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में शिकायतें सी–विजिल ऐप में दर्ज करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे शिकायतों का चुनाव आयोग के दिशा–निर्देशानुसार सौ मिनट के भीतर समाधान किया जाएगा। उन्होंने ज़िले के मतदाताओं से उन्नीस अप्रैल को अधिक से अधिक संख्या में आकर मतदान करने का अनुरोध किया। ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं से अवश्य ही मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की।

उन्होंने कहा कि पचासी वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं के लिए डाक मत पत्र तैयार किए जा रहे हैं और जो भी वृद्ध मतदाता वोट डालने में असमर्थ महसूस करेंगे, उनके लिए वाहनों की व्यवस्था भी की जाएगी।

<><><><><><><>

अण्डमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के अध्यक्ष एम. विनोद ने बुनियादाबाद निवासी तथा अवकाश प्राप्त प्रधानाध्यापिका सुमित्रा देवी के निधन पर शोक प्रकट किया है। इनका कल रात निधन हो गया। वे अस्सी वर्ष की थीं। शव यात्रा आज दिन में दो बजे इनके निवास स्थान से आरंभ होगी।

<><><><><><><>

उन्नीस अप्रैल को होने वाले मतदान से एक दिन पहले और मतदान के दिन बिना पूर्व प्रमाणन के प्रिंट मीडिया पर विज्ञापन जारी नहीं की जा सकेगी। भारतीय चुनाव आयोग ने इस संबंध में राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, संगठनों और लोगों से कहा है कि वे इस आदेश का पालन करें। आदेश में कहा गया है कि पिछले अनुभव के अनुसार प्रिंट मीडिया पर भ्रामक और गलत विज्ञापन जारी होने की घटनाएं प्रकाश में आई थी। अंतिम क्षणों में ऐसे विज्ञापनों से चुनाव प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न होता है और प्रभावित उम्मीदवारों तथा दलों को ऐसे मामलों पर स्पष्टीकरण देने का अवसर भी नहीं मिलता है। चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसी स्थितियां उत्पन्न न हो, इसके लिए नियमों के तहत सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, संगठनों और व्यक्तिगत लोगों से कहा है कि वे बिना पूर्व प्रमाणन के प्रिंट मीडिया पर विज्ञापन न छापे। आयोग ने यह भी कहा है कि विज्ञापन की प्रस्तावित तिथि से दो दिन पूर्व एम सी एम सी के पास आवेदन करना होगा।

<><><><><><><>